न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 71 / 2024
अनवान : –

1. जीतराम पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. हरीराम पुत्र काशीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. कालुराम पुत्र काशीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. मैना देवी पुत्री सहीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र कालुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. छोटूराम पुत्र कालुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. दलबीर पुत्र काशीराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
10. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 433 / 371 की कुल 10.4110 हैक्ट तथा खाता स0 434 / 370 की कुल 12.827 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातो की भूमि में गैरसायल स0 1, 4, 6, 8 प्रत्येक के नाम 1 / 24 हिस्सा भूमि अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खात स0 203 / 167 की कुल 15.7370 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1, 4 व 7 प्रत्येक के नाम 1265 / 15737 हिस्सा भूमि व गैरसायल स0 8 के नाम 2533 / 31474 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 700 / 604 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि मे से गैरसायल स0 1, 5, 8 व 9 प्रत्येक के नाम 1 / 4 तथा रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 503 / 493 की कुल 14.6320 हैक्ट भूमि में सायल के दादा काशीराम के नाम 41 / 236 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अनाराम के कुल 6 वारिसान हुए वाद का संबंध अनाराम के वारिस काशीराम के हक व हिस्से तक है। काशीराम का देहान्त हो चुका है। काशीराम के कुल चार वारिस हुए सहीराम, कालुराम, हरीराम व दलबीर । सहीराम बीमार रहता था सहीराम की पत्नी के देहान्त के बाद सहीराम की एक लड़की मैना देवी थी सही की देखभाल उसके भाई गैरसायल स0 1, 4 व 8 ही करते थी इसलिए सहीराम ने दिनांक 11.07.2015 को गांव के मौजिज व्यक्तियों के सामने मौखिक वसीयत की तथा कहा [illegible] कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी समस्त भूमि उसके तीनों भाईयों में बहिब दर्ज [illegible] उस वक्त मैना देवी भी मौजूद थी तथा मैना देवी ने भी उक्त मौखिक [illegible] किया था। सहीराम की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि का विरासतन इंतकाल उसकी पुत्री मैना देवी के नाम दर्ज [illegible]या। मैना देवी ने उक्त वाद भूमि को हरीराम वगैरह के नाम बहिब दर्ज करवा देगी लेकिन अब मैना देवी के मन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में लालच आ गया है। मैना देवी से कालुराम ने उक्त वाद भूमि में बिना प्रतिफल दिये व बिना कब्जा के वाद भूमि खरीद कर ली है तथा मैना देवी अपने नाम अन्य भूमि को भी बेचान करना चाहती है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व गैरसयल स0 1 ता 3 के कब्जा काश्त में दखल न दे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट तथा खाता स0 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि, रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खात स0 203/167 की कुल 15.7370 हैक्ट भूमि, रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 700/604 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 503/493 की कुल 14.6320 हैक्ट भूमि में सायल के दादा काशीराम के नाम 41/236 मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट तथा खाता स0 434/370 की कुल 12.827 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातो की भूमि में गैरसायल स0 1, 4, 6, 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खात स0 203/167 की कुल 15.7370 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1, 4 व 7 प्रत्येक के नाम 1265/15737 हिस्सा भूमि व गैरसायल स0 8 के नाम 2533/31474 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 700/604 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि मे से गैरसायल स0 1, 5, 8 व 9 प्रत्येक के नाम 1/4 तथा रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 503/493 की कुल 14.6320 हैक्ट भूमि में सायल के दादा काशीराम के नाम 41/236 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल का कथन है कि अनाराम के कुल 6 वारिसान हुए वाद का संबंध अनाराम के वारिस काशीराम के हक व हिस्से तक है। काशीराम का देहान्त हो चुका है। काशीराम के कुल चार वारिस हुए सहीराम, कालुराम, हरीराम व दलबीर । सहीराम बीमार रहता था सहीराम की पत्नी के देहान्त के बाद सहीराम की एक लड़की मैना देवी थी सही की देखभाल उसके भाई गैरसायल स0 1, 4 व 8 ही करते थी इसलिए सहीराम ने दिनांक 11.07.2015 को गांव के मौजिज व्यक्तियों के सामने मौखिक वसीयत की तथा कहा की उसकी अंतिम इच्छा है कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी समस्त भूमि उसके तीनों भाईयों में बहिब दर्ज की जावे उस वक्त मैना देवी भी मौजूद थी तथा मैना देवी ने भी उक्त मौखिक वसीयत को स्वीकार किया था। सहीराम की फौतगी के बाद उक्त वाद भूमि का विरासतन इंतकाल उसकी पुत्री मैना देवी के नाम दर्ज हो गया। मैना देवी ने उक्त वाद भूमि को हरीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वगैरह के नाम बहिब दर्ज करवा देगी लेकिन अब मैना देवी के मन में लालच आ गया है। मैना देवी से कालुराम ने उक्त वाद भूमि में बिना प्रतिफल दिये व बिना कब्जा के वाद भूमि खरीद कर ली है तथा मैना देवी अपने नाम अन्य भूमि को भी बेचान करना चाहती है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल के उक्त कथन मूल वाद में निर्णित होने है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म कियाज जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट तथा खाता स0 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि, रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खात स0 203/167 की कुल 15.7370 हैक्ट भूमि, रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 700/604 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 503/493 की कुल 14.6320 हैक्ट भूमि में काशीराम के नाम 41/236 हिस्सा भूमि की ताफैसला वाद के निस्तारण तक गैरसायल स0 1 ता 8 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:01 IST
Reason: SelfAttested